भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग—2 खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ भारत सरकार रसायन और उर्वरक मंत्रालय औषध विभाग राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण

नई दिल्ली, दिनांकः 13 अगस्त, 2019

आदेश

का.आ. 2934(अ):— डीपीसीओ, 2013 के पैरा 19 के अंतर्गत जारी ओथोंपेडिक घुटना प्रत्यारोपण के अधिकतम मूल्य को नियत करने से संबंधित दिनांक 16 अगस्त, 2017 के का.आ. 2668 (अ) और दिनांक 13 अगस्त, 2018 के का.आ. 3987 (अ) के माध्यम से राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, औषध विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचनाओं के अनुसरण में, इस बात का निर्णय लिया गया कि डीपीसीओ, 2013 के पैराग्राफ 20 (I) के प्रावधानों के अनुसार इनकी निगरानी की जाए। यह आदेश, जब तक कि अन्य अधिसूचना द्वारा संशोधित न हो, 16 अगस्त, 2019 से (अर्थात् 15 अगस्त, 2020 तक)एक वर्ष की अवधि के लिए लागू किया जाएगा।

- 2. ओर्थोपेडिक घुटना प्रत्यारोपण के अधिकतम मूल्य की एक वर्ष की अवधि के बाद समीक्षा की जाएगी।
- 3. दिनांक 16 अगस्त, 2017 के का.आ. 2668 (अ) की टिप्पणियां (ख) से (न) तक इस आदेश के जारी होने की अवधि के दौरान लागू की जाएंगी।

पी.एन. / 201 / 69/2019 / एफ

फा. सं0 8(69)/2019/डिपी/एनपीपीए/डिवी-II

(प्रकाश हेमानी) सहायक निदेशक (To be published in Part-II, Section-3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary)
Government of India
Ministry of Chemicals & Fertilizers
Department of Pharmaceuticals
National Pharmaceutical Pricing Authority

New Delhi, the 13th August 2019

ORDER

S.O. 2934(E):- In continuation to the notifications issued by National Pharmaceutical Pricing Authority, Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemical and Fertilizers vide S.O. 2668(E) dated 16th August 2017 and S.O. 3987(E) dated 13th August 2018 regarding fixation of ceiling price of the orthopaedic Knee Implants issued under Para 19 of the DPCO, 2013, it has been decided that the same may be monitored as per the provisions of Paragraph 20(1) of the DPCO, 2013. This order shall be applicable for the period of one year from 16th August, 2019 (i.e. up to 15th August, 2020), unless revised by another notification.

- 2. The ceiling prices for orthopaedic Knee Implants will be reviewed after a period of one year.
- 3. The notes (b) to (t) of the Notification S.O. 2668(E) dated 16th August, 2017 shall remain in force during the currency of this order.

PN/201/69/2019/F

F. No. 8(69)/2019/DP/NPPA/Div.II

(Prakash Hemani)
Asstt. Director